

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

+ आप.वि.वा. सं. 1770/2009

आरक्षित : 16.07.2009

निर्णय की तारीख : 21.07.2009

निरंजन कुमार

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: बी.आर. हांडा, वरिष्ठ अधिवक्ता सह
सुश्री हितेशी अरोड़ा, अधिवक्ता।

बनाम

डीआरआई, नई दिल्ली

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस.सी. अग्रवाल, अधिवक्ता।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.के. शाली

1. क्या स्थानीय समाचार पत्रों के संवाददाताओं को निर्णय देखने की अनुमति दी जा सकती है? हाँ।
2. रिपोर्टर के पास प्रेषित किया जाना है या नहीं? हाँ।
3. क्या निर्णय को डाइजेस्ट में प्रकाशित किया जाना चाहिए? हाँ।

न्या. वी.के. शाली

1. यह याचिकाकर्ता द्वारा दं.प्र.सं की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका है, जिसमें प्रत्यर्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1. के कार्यालय से विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की फाइल को अभिलेख पर रखने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए कहा गया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्यों का उल्लेख किया गया कि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत प्रत्यर्थी द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जो वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, नई दिल्ली की न्यायालय में लंबित है। उक्त अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उपरोक्त धारा के लिए आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ व्यथित महसूस करते हुए एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, द्वारका, नई दिल्ली, सुश्री रविंदर कौर के न्यायालय में सूचीबद्ध हुई। इस पुनरीक्षण याचिका में याचिकाकर्ता ने पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 अभिलेख पेश करने के लिए एक आवेदन दायर किया। याचिकाकर्ता का मामला था कि उसने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की खंड 108 के तहत कोई बयान नहीं दिया था। उनसे कोई वसूली नहीं हुई और इसके बावजूद उन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 की

रोकथाम के तहत हिरासत में लिया गया। याचिकाकर्ता सलाहकार बोर्ड के समक्ष पेश हुआ था और उसने निवारण आदेश को अभिखंडित कर दिया था। याचिकाकर्ता तदनुसार विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत निरोध आदेश को अभिखंडित करने वाले सलाहकार बोर्ड के अभिलेख को पेश करना चाहता था। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता के आवेदन पर रिपोर्ट मांगी और निम्नलिखित टिप्पणी की:

“भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम से रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि आवश्यक फाइल 24 साल पुरानी होने के कारण उपलब्ध नहीं है।

इसलिए मामले को दिनांक 22.05.2009 पर बहस के लिए स्थगित कर दिया जाता है।”

3. याचिकाकर्ता ने इस आदेश से व्यथित महसूस किया है और तदनुसार प्रार्थना की है कि उच्च न्यायालय कि दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी को उक्त फाइल को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दे सकता है या वैकल्पिक रूप से यदि अभिलेख उपलब्ध नहीं है तो याचिकाकर्ता को पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष अपना रुख बताते हुए एक शपथ पत्र दायर करने की अनुमति दी जाए।

4. मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता को भी सुना है। मैंने अभिलेख को भी विचार है।

5. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने मुख्य रूप से तर्क दिया कि याचिकाकर्ता से कोई बरामदगी प्रभावित नहीं हुई थी और न ही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 108 के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था और याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आपत्तिजनक सबूत नहीं होने के कारण उनके निरोध आदेश को अभिखंडित कर दिया गया था।

6. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी/विभाग के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि , विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की धारा 8 (ड) के तहत, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 का रिकॉर्ड एक गोपनीय रिकॉर्ड है और इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष सबूत के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है।

7. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की दूसरी प्रार्थना कि उनको अभिलेख उपलब्ध नहीं होने या पेश नहीं किए जाने की स्थिति में पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष एक शपथ पत्र दायर करने की अनुमति भी कानून में मान्य नहीं है क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत शिकायत मामले की सुनवाई संशोधनवादी अदालत के समक्ष नहीं है। यह विद्वान अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी के समक्ष है और याचिकाकर्ता जो भी सबूत पेश करना चाहता है, वह अपने बचाव में कर सकता है जैसे ही और जब भी इसमें प्रवेश करता है। इसलिए इस प्रार्थना का भी विरोध किया गया।

8. मैंने संबंधित निवेदनों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है

9. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम,1974 की धारा 8 (ड) निम्नानुसार है:

“8(ड) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन निरोध-आदेश किया गया है, सहाकर बोर्ड को किए गए निर्देश के संबंध किसी मामले में किसी विधि व्यवसायी द्वारा हाज़िर होने का हकदार नहीं होगा और सलाहकार बोर्ड की कार्यवाही और उसकी रिपोर्ट, उसके उस के सिवाय जिसमें बोर्ड किए राय विनिर्दिष्ट हो, गोपनीय होगी;

10. उपरोक्त प्रावधान के अवलोकन से पता चलेगा कि सलाहकार बोर्ड की राय को छोड़कर बाकी चीजें गोपनीय हैं, और इसलिए, याचिकाकर्ता से नहीं पूछा जा सकता है।

11. इसलिए, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता की प्रार्थना पूरी तरह से भ्रामक धारणा है और दं.प्र.सं की धारा के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दं.प्र.सं की धारा 482 न्याय के हित में और कानून प्रक्रिया के दुरुप्रयोग को रोकने के लिए कोई भी आदेश को पारित करने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को मान्यता देती है, लेकिन यह एक निरंकुश शक्ति नहीं है और इसे कुछ ठोस तर्क पर आधारित होना चाहिए।

याचिकाकर्ता सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत एक मामले में अभियोजन का सामना कर रहा है और याचिकाकर्ता को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि यह इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता। है। जहाँ तक सलाहकार बोर्ड के समक्ष कार्यवाही का संबंध धारा 8 (ड) के आधार पर है, वे सिफारिश के रूप में दी गई राय के हिस्से को छोड़कर गोपनीय हैं, और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा मांगे गए रिकॉर्ड को इस न्यायालय द्वारा कानून के स्पष्ट प्रावधान की अवहेलना करते हुए प्रदान करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए, यह प्रार्थना पूरी तरह से भ्रामक धारणा है।

12. जहाँ तक याचिकाकर्ता के पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष शपथपत्र दायर करने के अनुरोध का संबंध है, उक्त न्यायालय को पुनरीक्षण का निर्णय लेते समय शपथपत्र के माध्यम से साक्ष्य को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण न्यायालय को नीचे याचिकाकर्ता को निस्संदेह अपनी प्रतिरक्षा जिस भी तरीके से वह करना चाहता है: करने का अवसर मिलेगा।

न्या. वी.के. शाली

21 जुलाई, 2009

के.पी.

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।